न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 02/2024
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

मेघराज रॉयल रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर चौक के सामने, हनुमानगढ तहसील एवं जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट
उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0
2 अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–21.04.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.09.2024 को जिला रसद अधिकारी, मय कार्यालय स्टाफ घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग के सम्बध में निरीक्षण के दौरान जांच करने हेतु हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर रोड़, अम्बेडकर चौक के सामने स्थित रॉयल रेस्टोरेन्ट, हनुमानगढ़ जंक्शन पर उपस्थित हुए। मौके पर रेस्टोरेन्ट में मालिक श्री मेघराज उपस्थित मिले जिन्होने दुकान का निरीक्षण करवाया। तलाशी के दौरान दुकान में भोजन बनाने हेतु 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (इण्डेन गैस कम्पनी) उपयोग में लिये जा रहे थे। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया जो लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 की धारा 3(ग) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण उक्त समस्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर वजह सबूत जब्त किये गये जिन्हे नई धान मण्डी, हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित भटनेर गैस एजेन्सी के स्टॉफ श्री प्रकाश सिंह को सुपुर्द किये गये। श्री मेघराज, रॉयल रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर चौक के सामने हनुमानगढ़ जंक्शन का उक्त कृत्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 की धारा 3 (ग) का स्पष्ट उल्लघन है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

पत्रावली दर्ज होने को लगभग 1 वर्ष 2 माह हो चुके है। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 28.03.2025 को नोटिस जारी हो चुका है, परन्तु दिनांक 15.

04.2025 को अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर पाये गये इण्डेन कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया किः—

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर इण्डेन कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा इण्डेन कम्पनी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ